→ आवश्यक तथ्य जो जोड़े मिलेंगे
→ सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य
→ Marks में तथ्यो का ध्यान दें

भारतीय राजव्यवस्था Part-I paper (2)

46

1(A) सहकारी संघवाद :
भारतीय लोकतंत्र में संघीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें भारत राज्यो के से मिलकर संघ का निर्माण होता है, जैसे संघ एवं राज्यों मे क्षैतिज संबंध होते है जिसमें दोनो परस्पर मिलकर कार्य करते है।

1(B) सीनेट :
संसद का उच्च सदन है। उदा अमेरिका

1(C) अनुच्छेद 275 :
अनु 275 के अनुसार राज्यों को अनुदान दिये जाते है।

1(D) परमादेश :
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परमादेश एक रिट का प्रकार है जिसमें सार्वजनिक व्यक्ति अथवा संस्था को न्यायालय कार्य करने हेतु आदेशित करता है।

1(E) आच्छादन का सिद्धांत :
अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व के विधियाँ तक जायेगी। संसद द्वारा बनाये गये कानून से यदि मौलिक अधिकारो का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा करेगा।

1(F) सहायानुदान : राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार की धन की अप्रत्याशित राशी की पूर्ति हेतु सहायानुदान दिया जाता है।

1(G) लोकसभा मे विपक्ष का नेता :
लोकतंत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विपक्ष अपना सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता चुनता है एवं यह नेता विभिन्न दल के सदन के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया मे विभिन्न आयोगो मे भाग लेता है। उदा. सूचना आयुक्तो का

Subject

Date: / /

MON TUE WED THR FRI SAT SUN

1(N) गैर-सरकारी संगठन :

जनहित के उद्देश्य से प्रेरित ये अलाभकारी निजी संगठन होते है जो अनुदानो के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करते है। उदा. आदित्य बिड़ला एवं अन्य कंपनीयो | व्यक्तिगत रूप से चलाये गये संगठन (GOON)

1(O) राज्य का महाधिवक्ता :

राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य मंत्रीपरिषद की सलाह पर, यह विधि संबंधी विषयो पर सलाह देता है।

4 (2) (A) वित्तीय आपात :

संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की प्रावधान किये गये है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि राष्ट्र में वित्तीय अस्थिरता एवं साख को खतरा पैदा हो गया है। तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

प्रभाव :

1. राष्ट्रपति को छोड़कर सभी पदाधिकारीयों के वेतन काटे जा सकते है।
2. उच्चतमन्यायालय / उच्च न्यायलय के न्यायधीशो के वेतन में कटौती
3. संचित निधि से धन निकासी का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
4. धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जा सकता है।

Subject ______ Date __/__/__

MON TUE WED THR FRI SAT SUN

2(B) CAG की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रावधान :-

यह राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधि० - 1953 में CAG की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रावधान किये गये हैं जो इस प्रकार हैं।

(1) उसके समस्त वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं।

(2) वह CAG पद के अतिरिक्त कोई भी लाभ का पद धारित नहीं कर सकता एवं सेवा पश्चात भी वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारित नहीं कर सकता।

(3) राष्ट्रपति द्वारा उसे उसी विधि से हटाया जाता है जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिये प्रयोग में लायी जाती है।

3½

2(C) स्व-सहायता समूह की विकासात्मक गतिविधियों में भूमिका :-

स्व सहायता समूह एक समान सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति वाले निर्धन लोगों का समूह होता है। इसकी विकासात्मक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं -

(1) निर्धनों का जीवन स्तर ऊँचा करने के भरसक प्रयास करना
(2) छोटी बचतों से लाभ कमाने हेतु प्रेरित करना
(3) स्वरोजगार बढ़ाना
(4) महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर → महिला सशक्तिकरण करना
(5) बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना
(6) ग्रामीण निर्धनों हेतु ऋण नीतियाँ बनाना। आदि

3½

Subject

2(E) भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान :-
यह अधिनियम वास्तव में भारतीय संविधान का आधार था।
इसके प्रावधान निम्न लिखित है :-

(1) अखिल भारतीय संघ :-
11 ब्रिटिश प्रांतो + 6 चीफ कमीश्नर क्षेत्रो + देशी रियासतें (जो स्वेच्छा से संघ मे सम्मिलित होना चाहे) का निर्माण करना।
- प्रांतो के लिये संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था

(2) विषयो को सूची मे विभक्त करना
केन्द्रीय - 59 विषय
राज्य - 54 विषय
समवर्ती - 36 विषय
} कानून बनाने के अधिकार

(W)

(3) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश

(4) प्रांतीय स्वायत्ता :- द्वैध शासन समाप्त कर उन्हे स्वतंत्र घोषित करना।

(5) केन्द्र में द्वैध शासन लागू करना।

2 (F) संविधान में संशोधन के संसद अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण :-
उच्चतम न्यायालय की व्याख्या मे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह संविधान का संरक्षक है संविधान के मूल ढांचे मे संसद द्वारा परिवर्तन करने पर यह निरोधात्मक उपाय करता है।

केशवानंद भारती वाद :- 1973 :-
→ (भूमिका मे इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 मे भूमिसुधार कानूनो को लागू करने के लिये 9 वी अनुसूची की व्यवस्था की गई थी जिसके अंतर्गत इसमे सम्मिलित कानूनो को न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती थी।

SC हस्तांतरण को
स्पष्ट करें

Subject

जैसे मे इस वाद के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें संविधान का मूल ढाँचा परिवर्तित नही किया जा सकता।

(2) संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत संविधान (5) रिट जारी कर सकता है।

(3) न्यायलय यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी स्थिति मे नागरिको के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

3

2(G) संविधान मे एकीकरण के तत्व है

(1) एकल नागरिकता। -

(2) सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय का ढाँचा -

(3) शक्तियों का विभाजन। ~~केन्द्र के पक्ष मे~~ केन्द्र के पक्ष मे।

(4) उच्च सदन राज्यसभा का होना।

(5) लिखित सर्वोच्च संविधान।

5

(6) संशोधन प्रणाली मे राज्यों का महत्व।

(7) संकटकाल मे एकात्मक रूप।

(8) राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार। आदि।

2(H) अर्धसैनिक बलों की भूमिका :-
भारत में पारंपरिक रूप मे अर्धसैनिक बलों को निम्न भागों मे विभक्त किया है।
① भारतीय तटरक्षक बल ② असम राइफल्स ③ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स।
④ [CISF, BSF, ITBP, CRPF, NSG, राष्ट्रीय राइफल्स]
① CISF → केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट, एवं अन्य कंपनी के अधीन सुरक्षा के इंतजाम करते है।
② SSB -
③ BSF - सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करते है।
④ भारतीय तटरक्ष - नौसेना समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते है।
⑤ ITBP - भारत-तिब्बत सीमा पर तैनात बल है।
⑥ असम रायफल्स — असम में AFSPA को लागू करने के लिये असम सुरक्षा बल है। आदि।

2(ध) ① लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मुख चुनौतियाँ :-
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप मे मीडिया को माना गया है। इसका महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि के द्वारा लिये गयें निर्णयों का मूल्यांकन कर जनता के समक्ष रखना होता है।
इसके समक्ष चुनौतीयाँ इसप्रकार है :-
① वर्तमान समय मे हावी बाजारवाद एवं व्यवसायिकता की स्थिति ने मीडिया को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया है।
② फेक न्यूज / पीत पत्रकारिता के रूप मे मीडिया अनैतिक आचरण भी कर रहा है।

Date: __/__/__

MON TUE WED THR FRI SAT SUN

(3) TRP (Television Rating Program) के रूप मे नई स्पर्धा को जन्म दिया है जिससे वह मुख्य कर्तव्य से भटक सा रहा है। मीडिया की साख को बचाये रखने के लिये उसके निवारक उपायों की आवश्यकता है।

राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ना। सत्तारूढ़ दलों का मीडिया के प्रदर्शन पर दखल करना।

3½

(J) संविधान का बुनियादी ढाँचा है

संविधान का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा है।

संविधान का मूल ढाँचा प्रस्तावना मे परिलक्षित होता है। जिसमें
1. जनता की संप्रभुता
2. समाजवाद
3. प्रजातंत्र / प्रभुत्व संपन्न
4. लोकतंत्रात्मक
5. पंथ निरपेक्ष
6. समानता, बंधुत्व आदि सद्गुणों पर आधारित है, उसमे मौलिक अधिकारो की व्यवस्था की गई है जो कि न्यायलय मे चुनौती योग्य नही है।

4

- वही दूसरी ओर नागरिको के राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों के रूप में किया गया है।
- राज्यों को नागरिको के प्रति कर्तव्य नीति निर्देशकों के रूप में किया गया है।